संख्या-3/2024/93/94-स्टा0नि0-2-2024-700(73)/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2024

विषयः-स्टाम्प विधि का उचित अनुपालन कराते हुए विभागीय संव्यवहारों/प्रक्रियाओं में करापवंचन रोकने के संबंध में।

महोदय,

स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य के राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्रोत्र हैं। राज्य के अन्य महत्त्वपूर्ण कर, यथा राज्य कर एवं आबकारी शुल्क, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, परन्तु स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं जिसका करदाता सीधे तौर पर भुगतान करता है, इसका भुगतान करदाता द्वारा स्वयं स्टाम्प क्रय करके किया जाता है। प्रभार्यता वाले संव्यवहार के पक्षकार कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, तथा यह किसी पंजीकृत व्यवस्था का अंग नहीं हैं।

2. स्टाम्प ड्यूटी से प्रभार्य संव्यवहार में से मात्र ऐसे संव्यवहार, जिनके प्रभावी होने के लिए निबंधन अनिवार्य हो, निबंधन कार्यालयों में आते हैं। विशेष तौर पर अल्प समय के विलेखों, जिनमे स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण नहीं हो रहा हो, को पक्षकारों द्वारा पंजीकृत नहीं कराया जाता है, जिससे राज्य के कर का अपवंचन होता है।

3. इस प्रकार के बहुत से अविधिक/अपंजीकृत विलेख सरकार के अन्य विभागों में विभिन्न विधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रयोग किया जाना संज्ञान में आये हैं। इस प्रकार से कई विभागों की आवश्यक विधिक कार्रवाई विधिक रूप से अमान्य विलेखों के कारण दूषित तो हो ही रही है, साथ ही विभागीय कार्मिक भी परोक्ष रूप से करापवंचन में सहभागी हो रहे हैं।

4. इस स्थिति के निवारण हेतु पूर्व में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-23/2023/1192/94-स्टा0नि0-2-2023-700(73)/2023 दिनाँक 19 अक्टूबर 2023 जारी किया गया था, जिसके मुख्य अंश निम्नवत उद्धृत हैं :-

> **''भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-33 सहपठित धारा-22 अ के अन्तर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, जिसके समक्ष उसके तथ्यों के सम्पादन में ऐसा कोई विलेख प्रस्तुत किया जाय या आ जाय जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो परन्तु उचित रूप से स्टाम्पित न हो तो उसका यह विधिक कर्तव्य है कि वह अग्रेतर कार्यवाही रोककर विलेख को उचित रूप से स्टाम्पित होने के लिए कलेक्टर को संदर्भित करेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-35 के अनुसार जो विलेख स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो, परन्तु उचित रूप से स्टाम्पित न हो तो**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-33 निम्नवत हैः-

> **"33- Examination and impounding of instruments:- (1) Every person having by law or consent of parties, authority to receive evidence, and every person in charge of a public office, except an officer of police, before whom any instrument, chargeable, in his opinion, with duty, is produced or comes in the performance of his functions, shall, if it appears to him that such instrument is not duly stamped, impound the same:**
>
> **(2) For that purpose every such person shall examine every instrument so chargeable and so produced or coming before him, in order to ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and description required by the law in force in India when such instrument was executed or first executed-"**

5. अतः उपर्युक्तानुसार जिस भी लोक कार्यालय के प्रभारी के समक्ष स्टाम्प से प्रभार्य दस्तावेज उनके कार्य के दौरान प्रस्तुत होते हैं, उन्हें स्टाम्प देयता के अनुपालन की स्थिति का परीक्षण करने एवं स्टाम्प कमी परिलक्षित होने की दशा में दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति एवं उत्तरदायित्व विधि द्वारा प्रदत्त है।

6. यह भी विचारणीय है कि स्टाम्प प्रभार्यता मात्र निबंधन हेतु अनिवार्य विलेखों पर ही नहीं होती है, अपितु भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1, 1क एवं 1ख में अंकित समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर होती है। (स्टाम्प एक्ट की अनुसूचियों को देखने हेतु विभागीय बेबसाइट का URL- "https://igrsup.gov.in/prenadoc/Adhiniyam/IndianStampActScheduleHn.pdf") यहाँ यह भी सूच्य है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा-64 (ब्) के अंतर्गत स्टाम्प देयता के अपवंचन के प्रयोजन से किया गया कोई भी कृत्य एक दंडनीय अपराध है।

7. उपरोक्त के आलोक में सभी लोक कार्यालय के प्रभारियों से निम्नलिखित अपेक्षायें की जाती हैं:-

1- स्टाम्प अधिनियम की अनुसूचियों का अध्ययन कर लें एवं उनके कार्य के दौरान उनके सम्मुख प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के विषय में धारा-33 में अपेक्षित कार्रवाई का कठोरता से अनुपालन करें।

2- वर्तमान में E-Stamp भी प्रचलन में हैं। E-Stamp की वैधता का परीक्षण करने हेतु उस पर एक फत् कोड अंकित होता है। अतः जब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उनके सम्मुख कोई भी E-Stamp पेपर पर दस्तावेज प्रस्तुत हो, तो QR कोड को स्टॉक होल्डिंग के ई-स्टाम्प एप से स्कैन करके उसकी सत्यता अवश्य जाँच लें। ई- स्टाम्प के सत्यापन के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन का APP निम्नलिखित URL- "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stockholding.shcil")

3. **उपरोक्त दोनों बिंदुओं के परीक्षण में यदि कोई कमी या विसंगति पायी जाती है तो दस्तावेज को जब्त करते हुए उसे तत्काल कलेक्टर/सहायक आयुक्त स्टाम्प को प्रेषित कर दिया जाए। इस विषय में किसी पृच्छा के सम्बन्ध में जनपद के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।**

8. इसी प्रकार, स्थानीय स्तर पर स्टाम्प विधि के बेहतर अनुपालन हेतु महानिरीक्षक निबंधन/स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश ने पत्र 632/स्टाम्प विधि/2023 दिनाँक 24 मई 2023 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एवं अन्य विभागों में समन्वय करा कर मासिक परीक्षण करवाने हेतु निर्देश दिए थे, जिनका प्रभावी भाग निम्नवत उद्धत हैः-

"भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 में यह व्यवस्था है कि विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे विलेख को जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा किसी सार्वजानिक व्यक्ति द्वारा उसकों क्रियान्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अभिलेख यथा विधि स्टाम्पित नहीं हैं।

विभिन्न विभागों यथा नगर निकाय, आबकारी, विद्युत, खनन, खाद्य औषधि, वाणिज्य कर, जिला पंचायत, मंडी परिषद, प्राधिकरण, बैंकों आदि में विभिन्न प्रकार के अपंजीकृत विलेख सामान्यतः प्रयोग में लाये जाते हैं जिससे जहाँ एक तरफ करापंवचन को बढ़ावा मिलता है वही दूसरी तरफ अविधिक लेखपत्रों का प्रचलन हो जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन विभागों में विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त हो रहे अपंजीकृत लेखपत्रों की स्टाम्प देयता की दृष्टि से जाँच करायी जाए तथा समस्त सम्बन्धित के संज्ञान में यह बात भी लाई जाए कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 (ब) के अंतर्गत शासकीय राजस्व की क्षति कारित करने वाला कोई भी कृत्य एक दंडनीय अपराध है।''

9. यह ध्यातव्य है कि राजस्व संग्रह कलेक्टर का एक प्रारंभिक एवं महत्त्वपूर्ण दायित्व है। जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय कर के स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 का प्रभावी प्रवर्तन करने की नितान्त आवश्यता है। जिसके दृष्टिगत यह निर्देश दिए जाते हैं किः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) की अध्यक्षता एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प के समन्वय से प्रति माह एक विभाग के अधीन आने वाले instruments / सम्भावित instruments की गहन समीक्षा की जाए। अन्य बातों के साथ यह देखा जाए-

(क)- क्या किसी अचल संपत्ति प्रयोग के अधिकार के विषय में उचित विलेख दिया जा रहा है?

(ख)- क्या ऐसे विलेख उतनी अवधि के लिए हैं, जितनी अवधि में ऐसे अधिकार का साक्ष्य वे दे रहे हैं। (उदाहरणार्थ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई अनुज्ञा 5 वर्ष हेतु दी जा रही हो, पर जिस सम्पत्ति के अधिकार पर ऐसी अनुज्ञा दी जा रही हो, वह 11 माह का हो)

(ग)- क्या ऐसे विलेख उचित स्टाम्प से स्टाम्पित है?

10. अभिसूचना के आधार पर यदि जनपदीय सहायक आयुक्त स्टाम्प किसी भी विभाग के अभिलेखों को देखना चाहें, तो उनके अनुरोध पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी द्वारा उक्त सूचना/अभिलेख बिना अनावश्यक विलम्ब के उपलब्ध करा दिये जायें। यदि किसी विभाग के कार्यालय द्वारा इसमें असहयोग संज्ञान में आये तो जिलाधिकारी स्तर से इसका तत्काल समाधान किया जाए।

11. अस्तु, उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव /सचिव गण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।